


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज महेन्द्र मोहन उर्फ महेन्द्र कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.23	<p align="center">अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/343</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं तथा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा की टिप्पणी पत्रांक 383 दिनांक 26.09.2023 प्राप्त जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन में एक बिन्दू पर सूचना चाही गई के क्रम में कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 262 दिनांक 13.07.2023 प्रेषित विचाराधीन पत्रावलीयों में प्रार्थना पत्रों व आदेशों की प्रमाणित प्रति चाही गई जो न्यायालय दिवस में उपस्थित होकर निर्धारित नकल प्रार्थना पत्र के साथ नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं। कृपया अपील को खारिज कराने का श्रम करावें।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पेश कर एक बिन्दु पर सूचना चाही गई थी जिस पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 262 दिनांक 13.07.2023 से अपीलार्थी को एक बिन्दु को सूचना भिजवाते हुए न्यायालय दिवस में उपस्थित होकर निर्धारित नकल प्रार्थना पत्र के साथ नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर नकल प्राप्त करने हेतु अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य प्रतीत होती है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p align="right">  (डॉ० आरूषी मलिक) अपीलेट अधिकारी संभागीय आयुक्त, जयपुर। </p>	